रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-28072021-228531 CG-DL-E-28072021-228531

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2772] No. 2772] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 28, 2021/श्रावण 6, 1943 NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 28, 2021/SHRAVANA 6, 1943

## श्रम और रोजगार मंत्रलाय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2021

का.आ. 2983(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अगस्त, 2021 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध तमिलनाडु राज्य के मदुरै जिले में सम्पूण क्षेत्र के पहले से कार्यान्वित किए जा रहे उक्त जिले के अतिरिक्त क्षेत्र में प्रवृत होंगे, अर्थात :—

- (i) अध्याय 4 की धारा 38, धारा 39, धारा 40, धारा 41, धारा 42, धारा 43 और धारा 45क से धारा 45ज;
- (ii) अध्याय 5 की धारा 46 से धारा 73य और
- (iii) अध्याय 6 की धारा 74, धारा 75, धारा 76 की उपधारा (2) से (4), धारा 80, धारा 82, और धारा 83 ।

[सं. एस-38013 / 05 / 2021-एस.एस.I]

विभा भल्ला, संयुक्त सचिव

4112 GI/2021 (1)

# MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2021

- **S.O.** 2983(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st day of August, 2021, as the date on which the provisions of the said Act, namely,—
  - (i) sections 38, 39, 40, 41, 42, 43 and sections 45A to 45H of Chapter IV;
  - (ii) sections 46 to 73 of Chapter V; and
- (iii) sections 74, 75, sub-sections (2) to (4) of sections 76, 80, 82 and 83 of Chapter VI; shall come into force in all the areas of Madurai district in the State of Tamil Nadu.

[No. S-38013/05/2021-SS.-I]

VIBHA BHALLA, Jt. Secy.